न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/27/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/179

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री मनीष गुर्जर पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर, निवासी–ग्राम–रतनपुरा, पोस्ट–कराणा, तहसील–नारायणपुर, जिला–अलवर (राज.)–301024		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 11.04.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 10.05.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 03.03.2022 के माध्यम से कनिष्ठ लिपिक के पद पर दी गई अनुकम्पात्मक नियुक्ति संबंधी जानकारी/सूचना प्रति चाही गई थी।
4. वांछित सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 05.04.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः 919 दिनांकः 25.04.22 मय संलग्नक, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा अपील में आक्षेपित तथ्यों व प्रथम सूचना आवेदन में वांछित सूचना के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/सूचना पर गौर/मनन किए जाने पर प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में अपीलार्थी को सूचना आवेदन पर विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है। वांछित सूचना विशिष्टीपूर्ण नहीं होने एवं तृतीय पक्षकार से जुड़ी हुई होने के कारण देय नहीं है।
7. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
8. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 10.05.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया। ।

(शिवप्रसाद नकाते)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)